भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2609

05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि की बढ़ती लागत

2609. श्री भरतभाई मनुभाई सुतारियाः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि किसानों को बीज, मजदूरी, कीटनाशकों और उर्वरकों से संबंधित बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय कमी आ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के समाधान और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 3बीपी को मान्यता देने और लागू करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): बीज, मजदूरी, कीटनाशकों और उर्वरकों से संबंधित बढ़ती लागत का सामना कर रहे किसानों की मदद के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है, जिनका विवरण **अनुबंध** में दिया गया हैं। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के बजट आवंटन में अत्याधिक वृद्धि करते हुए वर्ष 2013-14 के 21,933.50 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया है।

मंत्रालय ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए निम्नलिखित समेकित कार्यनीति की पहचान की है:

i. फसल उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि
ii. उत्पादन लागत में कमी
iii. किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलना।
iv. कृषि विविधीकरण
v. फसलोपरांत मूल्य संवर्धन का विकास
vi. स्थायी कृषि के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होना और फसल हानि को कम करना

सरकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में लगातार वृद्धि की है।

अनुबंध

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-के.एम.वाई.)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)/रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)
4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एम.आई.एस.एस.)
5. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एन.बी.एच.एम.)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पी.डी.एम.सी.)
13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.)
14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)
15. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एस.एच. एंड एफ.)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एस.एम.ए.ई.)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एस.एम.एस.पी.)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.)
22. इंटीग्रेटेड स्कीम फ़ॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग (आई.एस.ए.एम.)
23. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

*****